परीक्षा समिति की बैठक दिनांकः 16.02.2018 का कार्यवृत्त

आज दिनांक 16.02.2018, दिन गुरूवार को अपराह्न 03:00 बजे सेण्टर फॉर एकेडिमिकस भवन स्थित कार्यपरिषद कक्ष में परीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न हुई, बैठक में निम्नांकित उपस्थित रहे :–

1.	प्रो0 जे0वी0 वैशम्पायन, कुलपति, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 आर0सी0 कटियार, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
4.	डॉ0 आर0के0 गुप्ता, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, क्राइस्ट चर्च कालेज, कानपुर।	सदस्य
5.	प्रो0 संजय कुमार श्रीवास्तव, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 मुकेश रंगा, आचार्य, आई.बी.एम., सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सदस्य
7.	प्रो0 संजय स्वर्णकार, आचार्य, अंग्रेजी विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
8.	डॉ0 सुधीर अवस्थी, उपाचार्या, जीवन विज्ञान विभाग, सी.एस.जे.एम. वि.वि., कानपुर।	सदस्य
9.	डॉ0 शकील अहमद, प्राचार्य, हलीम मुस्लिम कालेज, कानपुर।	सदस्य
10.	डॉ0 वृजेश यादव, अध्यक्ष, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
11.	डॉ0 विवेक द्विवेदी, महामंत्री, कानपुर यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन।	सदस्य
12.	डॉ0 सरोज द्विवेदी, सिस्टम मैनेजर, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
13.	श्री रणजीत यादव, उपकुलसचिव, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
14.	श्री उमानाथ, परीक्षा नियंत्रक, सी.एस.जे.एम. विश्वविद्यालय, कानपुर।	सचिव

माननीय कुलपति जी ने नवागन्तुक सदस्यों का स्वागत एवं निवर्तमान सदस्यों के योगदान की सराहना करते हुए परीक्षा समिति की कार्यवाही प्रारम्भ की। सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिए :–

1. **परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 13.10.2017 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार :–**

   परीक्षा समिति की सामान्य बैठक दिनांक 13.10.2017 के कार्यवृत्त को परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से सम्पुष्ट किया।

2. **सत्र 2017–18 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा हेतु नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र बनाने पर विचार :–**

   परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया कि शासन ने सत्र 2017–18 की परीक्षाएं परीक्षा केन्द्र परिवर्तित कर सम्पन्न कराये जाने के निर्देश प्रदान किए है। शासन के निर्देशों के अनुपालन हेतु बिन्दुवार प्रस्ताव निम्नवत् है :–

   1. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 की परीक्षा में राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को स्व–परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
   2. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के निकटम स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में यथा सम्भव क्षमतानुसार जोड़ा जाय।
   3. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में महिला महाविद्यालय जिनकी छात्र संख्या–300 व उससे अधिक हो, को स्व–परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। 300 से कम छात्र संख्या वाले महिला महाविद्यालय को निकटम परीक्षा केन्द्र में समाहित किया जाए।
   4. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में 2000 अथवा इससे अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों को स्व–परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
   5. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में 2000 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किया जाय। यदि उनकी संख्या एक केन्द्र पर न हो पाये तो उनके छात्रों की परीक्षा संकायवार विभाजित करते हुए 02 परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय।
   6. शासन के आदेशानुसार नकल में डिबार अथवा पुनः परीक्षा कराये जाने वाले महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।

16/2/18 16/2

7. परीक्षा केन्द्रों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाना अनिवार्य किया जाय।

उक्त बिन्दुवार प्रस्ताव पर परीक्षा समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नांकित निर्णय लिया गया :-

1. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 की परीक्षा में राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों को इस वर्ष के लिए स्व-परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
2. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के निकटम स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों को राजकीय/सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में यथा सम्भव क्षमतानुसार जोड़ा जाय।
3. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में महिला महाविद्यालय जिनकी छात्र संख्या-300 व उससे अधिक हो, को स्व-परीक्षा केन्द्र बनाया जाय। 300 से कम छात्र संख्या वाले महिला महाविद्यालय को निकटम परीक्षा केन्द्र में समाहित किया जाए।
4. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में 1500 अथवा इससे अधिक छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों को स्व-परीक्षा केन्द्र बनाया जाय।
5. संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2018 में 1500 से कम छात्र संख्या वाले महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र परिवर्तित किया जाय। यदि उनकी संख्या एक केन्द्र पर न हो पाये तो उनके छात्रों की परीक्षा संकायवार विभाजित करते हुए 02 परीक्षा केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया जाय।
6. शासन के आदेशानुसार नकल में डिबार अथवा पुनः परीक्षा कराये जाने वाले महाविद्यालयों का परीक्षा केन्द्र न बनाया जाय।
7. परीक्षा केन्द्रों में सी0सी0टी0वी0 कैमरा तत्काल लगाया जाय।
8. परीक्षा केन्द्र के निर्धारण में आवश्यकतानुसार भौतिक सत्यापन भी कराया जा सकता है।

साथ ही परीक्षा समिति ने यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2017-18 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं हेतु आवश्यकतानुसार नोडल केन्द्र निर्धारित किए जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि परीक्षाओं की शुचिता के दृष्टिगत समस्त नोडल केन्द्र/परीक्षा केन्द्र उस दिन-प्रतिदिन की रिकार्डिंग माँगे जाने पर विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायें। परीक्षा नियंत्रक ने अवगत कराया कि "Uttar Pradesh Universities (Provisions regarding Conduct of examination) Act, 1965 (U.P. Act. XXIV) of 1965 as amended by the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973." की धारा 2-सी के अनुसार प्रत्येक परीक्षा केन्द्र में केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जायेंगे। उक्त व्यवस्था के आलोक में सम्बन्धित महाविद्यालयों को पत्र प्रेषित कर केन्द्राध्यक्ष/अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष की नियुक्ति हेतु आवेदन प्राप्त कर विलम्बतम 28 फरवरी, 2018 तक परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष एवं अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष नामित कर दिए जाय तथा केन्द्राध्यक्ष व अतिरिक्त केन्द्राध्यक्ष प्रमाणपत्र हेतु महाविद्यालय से पहचान प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया जाय। साथ ही यह भी निर्णय लिया कि सत्र 2017-18 की परीक्षाओं हेतु विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों से उनके यहाँ अध्ययरत् छात्रों की 75% की उपस्थिति विषयक प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाय।

कार्यवाही-उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

3. **सत्र 2016-17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा के परीक्षा-कार्यक्रम पर विचार :-**

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सत्र 2017-18 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाएं पूर्व घोषित शैक्षिक पंचांग के अनुसार दिनांक 06 मार्च, 2018 से दिनांक 27 अप्रैल, 2018 तक एक साथ सम्पन्न करा ली जाय। परीक्षा समिति ने संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा 2017-18 के विस्तृत परीक्षा-कार्यक्रम को अन्तिम रूप देने के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया।

कार्यवाही-उपकुलसचिव (परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

4. **परीक्षा केन्द्रों/नोडल केन्द्रो को निर्गत किए जाने वाले निर्देशों पर विचार :-**

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा नियंत्रक द्वारा प्रस्तुत किए गए परीक्षा से सम्बन्धित महाविद्यालयों को प्रेषित किये जाने वाले सत्र 2017-18 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षा सम्बन्धी निर्देशों पर अपनी सहमति प्रदान किया।

कार्यवाही-उपकुलसचिव (परीक्षा)/प्रभारी, कोडिंग सेल

16/2/18

16/2

5. **सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं की बैकपेपर व अन्य परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किये जाने पर विचार :–**

सत्र 2016–17 की संस्थागत/व्यक्तिगत परीक्षाओं की बैकपेपर व अन्य परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

6. **बी0एड0 पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष 2015–17 बैच/सत्र 2017–18 की सेमेस्टर परीक्षाएं/सत्र 2016–17 की मेडिकल परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किये जाने पर विचार :–**

बी0एड0 पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष 2015–17 बैच/सत्र 2017–18 की सेमेस्टर परीक्षाएं/सत्र 2016–17 की मेडिकल परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

7. **याचिका संख्या–62336/2017 रणधीर सिंह यादव बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य के माध्यम से याची श्री रणधीर सिंह यादव, छात्र एलएल0बी0, बैच 2011–14 की पाठ्यक्रम अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में बैकपेपर की अनुमति प्रदान किए जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि याची श्री रणधीर सिंह यादव, छात्र एलएल0बी0, बैच 2011–14, अनुक्रमांक–0702349, षष्ठम् सेमेस्टर ने अपने प्रार्थनापत्र दिनांक 08.01.2018 के माध्यम से अवगत कराया है कि सत्र 2016–17 में पंचम् सेमेस्टर के समस्त विषयों की परीक्षा में सम्मिलित हुआ, किन्तु प्राप्तांक न्यूनतम अंको से कम प्राप्त हुए तथा चतुर्थ सेमेस्टर में प्रथम प्रश्नपत्र में अनुपस्थित था। प्रार्थी ने उक्त पाठ्यक्रम के चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में बैकपेपर परीक्षा में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है। साथ ही यह भी अवगत कराया कि याचिका संख्या–62336/2017 दिनांक 21.12.2017 पर माननीय उच्च्य न्यायालय ने उक्त प्रकरण को 03 सप्ताह में निर्णय लेने हेतु आदेश प्रदान किए है।

उक्त प्रकरण, विश्वविद्यालय अध्यादेश के अवलोकनोपरान्त परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया कि याची श्री रणधीर सिंह यादव, छात्र एलएल0बी0, बैच 2011–14, अनुक्रमांक–0702349, षष्ठम् सेमेस्टर को चतुर्थ एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षा में बैकपेपर परीक्षा सम्मिलित न किया जाय।

कार्यवाही–नोडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ)/सहा0 कुलसचिव (सेमे. परीक्षा)

8. **जीवन विज्ञान विभाग, आई0बी0एस0बी0टी0, आई0बी0एम0 एवं एलएल0एम0 के उपस्थिति कम होने के कारण छूटे हुए छात्र/छात्राओं की परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने से परीक्षा समिति को संसूचित किये जाने पर विचार :–**

जीवन विज्ञान विभाग, आई0बी0एस0बी0टी0, आई0बी0एम0 एवं एलएल0एम0 के उपस्थिति कम होने के कारण छूटे हुए छात्र/छात्राओं की परीक्षाएं सम्पन्न कराये जाने से परीक्षा समिति संसूचित हुई।

9. **माह दिसम्बर, 2017 में सम्पन्न हुई मेडिकल परीक्षाओं के अनुचित साधन के प्रकरणों पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि श्री धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, मथुरा में दिनांक 27.12.2017 को आयोजित बी0ए0एम0एस0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा में योजित सचलदल द्वारा परीक्षा केन्द्र पर घोर अनियमितता एवं सामूहिक नकल कराने का प्रयास का आरोप लगाया था, जिस पर अनुचित साधन प्रयोग समिति की आख्या द्वारा सही पाया गया।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि कि श्री धनवन्तरी आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, मथुरा की दिनांक 27.12.2017 को आयोजित बी0ए0एम0एस0 प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम की परीक्षा निरस्त कर पुनः विश्वविद्यालय परिसर में सम्पन्न करायी जाय।

कार्यवाही–सहा0 कुलसचिव (यू.एफ.एम./मेडिकल परीक्षा)/सिस्टम मैनेजर

अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :–

1. **याचिका संख्या–44352/2017 श्रेय खरे बनाम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं अन्य के माध्यम से याची श्री श्रेय खरे, छात्र बी0कॉम (भाग–3), वर्ष 2017 के प्रकरण पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव ने अवगत कराया कि याचिका संख्या–44352/2017 श्रेय खरे बनाम छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर एवं अन्य में श्री श्रेय खरे, छात्र बी0कॉम0 (भाग–3), अनुक्रमांक–0301075, परीक्षा केन्द्र मंगला देवी स्मारक डिग्री कालेज, मसिका, नैनी, इलाहाबाद में सम्मिलित

UNS 16/2/18

हुआ तथा प्रश्नपत्र प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग (417–N) में उसे कुल 06 अंक प्रदान हुए थे। याची द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका ऑनलाइन द्वारा मांगी, जिसमें पृष्ठ संख्या–03 से 20 उपलब्ध नहीं थे। कोडिंग सेल से प्राप्त आख्या में उक्त प्रश्नपत्र की उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ–03 से 20 विधिवत् कटे हुए पाये गए है।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि याची श्री श्रेय खरे, छात्र बी0कॉम0 (भाग–3), अनुक्रमांक–0301075, परीक्षा केन्द्र मंगला देवी स्मारक डिग्री कालेज, मसिका, नैनी, इलाहाबाद को प्रश्नपत्र प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग (417–N) में औसत अंक प्रदान किए जाय, साथ ही मंगला देवी स्मारक डिग्री कालेज, मसिका, नैनी, इलाहाबाद पर ` 25000/– अर्थदण्ड लगाए तथा उक्त से इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद को अवगत कराया जाय।

कार्यवाही–नोडल अधिकारी (विधि प्रकोष्ठ)/उपकुलसचिव (अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर/प्रभारी, कोडिंग सेल

2. **छात्रा रिचा दूबे, एम0ए0 उत्तरार्द्ध, वर्ष–2015, विषय–शिक्षाशास्त्र, बृहस्पति महिला महाविद्यालय, कानपुर की मौखिकी कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि छात्रा रिचा दूबे, एम0ए0 उत्तरार्द्ध, वर्ष–2015, विषय–शिक्षाशास्त्र, बृहस्पति महिला महाविद्यालय, कानपुर ने अपने अदिनांकित प्रार्थनापत्र के माध्यम से एम0ए0 उत्तरार्द्ध, शिक्षाशास्त्र विषय की मौखिकी कराये जाने का अनुरोध किया है, जबकि प्रार्थिनी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि वह उक्त मौखिकी में सम्मिलित हुई थी।

सम्यक विचारोपरान्त परीक्षा समिति ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि छात्रा रिचा दूबे, एम0ए0 उत्तरार्द्ध, वर्ष–2015, विषय–शिक्षाशास्त्र, बृहस्पति महिला महाविद्यालय, कानपुर की मौखिकी आगामी संस्थागत प्रायोगिकी/मौखिकी के साथ सम्पन्न करा ली जाय।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

3. **सत्र 2017–8 की बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं कराये जाने पर विचार :–**

परीक्षा समिति के सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रो0 सुभाष चन्द्र अग्रवाल, संकायाध्यक्ष, शिक्षा विभाग द्वारा सत्र 2017–18 की बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं माह अप्रैल, 2018 में सम्पन्न कराये जाने का अनुरोध किया है।

परीक्षा समिति ने सम्यक विचारोपरान्त सत्र 2017–18 की बी0एड0/एम0एड0 प्रथम वर्ष की वार्षिक परीक्षाएं माह अप्रैल, 2018 में सम्पन्न कराये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया ।

कार्यवाही–उपकुलसचिव (परीक्षा/अतिगोपनीय)/सिस्टम मैनेजर

अन्त में मा0 कुलपति जी ने सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक सम्पन्न हुई।

16/2/18

(प्रो० जे०वी० वैशम्पायन)
कुलपति

16.2.18
(उमानाथ)
परीक्षा नियंत्रक/सचिव, परीक्षा समिति